**प्रकरण संख्या 44/2018 कन्हैयालाल व अन्य बनाम सोहन व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.03.2020 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कलडवास में निम्न परिशिष्ठों की आराजियात स्थित है, जो प्रार्थीया व विपक्षीगण की मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 अनुसार पक्षकारान का हिस्सा है एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु जमीन की कीमते बढ़ जाने से विपक्षीगण के मन में फितूर आ गया है एवं वह प्रार्थीगण की भूमि हड़पना चाहते हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।<br><br>अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 07.07.2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04.12.2018 को प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्रीराम शाकद्वीपी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।<br><br>वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 16.11.2018 को हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।<br><br>उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिस उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद हमने पाया कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखे जाने की किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। | |

**प्रकरण संख्या 44/2018 कन्हैयालाल व अन्य बनाम सोहन व अन्य**

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर बिना मनन किये कथित निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निरन्तर न्यायालय की छाप लगायी जाकर प्रकरण दिनांक 17.08.2017 की पेशी नियत की गयी, किन्तु इसके पूर्व ही अपीलान्ट/प्रार्थीगण को बिना कोई सूचना दिये प्रकरण दिनांक 07.07.2017 को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.05.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.15 11:59:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: